परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौवालीस'

प्रश्न सं. [क. 2735]

[25/7/2016] 3

परिशिष्ट-1

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल., 462004

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2011

क्रमांक एफ 07–44/1996/बीस–4 :: राज्य शासन सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याताओं को शिक्षण प्रशिक्षण बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड. अर्हता प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिये जाने संबंधी इस आदेश के जारी होने के दिनांक के पूर्व के समस्त जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी करता है कि :–

1. दिनांक 16.06.1993 के पूर्व के नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिनके द्वारा सेवा में आने से पूर्व (बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड.) की योग्यता धारण की है, उनको नियुक्ति दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

2. दिनांक 16.06.1993 के पूर्व के नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुये दिनांक 23.10.1964 के पूर्व शासकीय/स्वयं के व्यय पर (बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड.) योग्यता धारित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

3. दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुए स्वयं के व्यय पर दिनांक 01.03.1999 के पहले (बी.एड./बी.टी.सी/डी.एड.) योग्यता अर्जित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्त किसी भी प्रकार के शिक्षक को जिन्होंने बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें किसी भी स्थिति में दो अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

4. स्वयं के व्यय पर बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड. करने का तात्पर्य यह होगा कि, शिक्षक के द्वारा अपने अर्जित अवकाश/अर्द्ध वेतन अवकाश/असाधारण अवकाश आदि देय अवकाशों का नियमानुसार उपभोग कर अंशकालीन/दूरस्थ पद्धति या पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।

5. उपरोक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को स्वीकृत की जावेगी जिनके द्वारा (बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड.) की परीक्षा एन.सी.टी.ई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

(cont.on .. 2)

2/ उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के क्रमांक आर–1021/1795/10/नियम/चार, दिनांक 06.06.2011 द्वारा दी गई सहमति उपरांत जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एम.के.दाण्डे)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 07–44/1996/बीस–4, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
2– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर टीप क्र. आर–1021/1795/10/नियम/चार, दिनांक 06.06.2011 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4– महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5– आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, म.प्र.।
8– समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म.प्र.।
9– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एव लेखा पेंशन, म.प्र.।
10– समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
11– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
12– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, म.प्र.।
13– संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
14– संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर, म.प्र.।
15– अवर सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, कक्ष –1,2,3 मंत्रालय, भोपाल।
16– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
17– महामंत्री, म.प्र. शिक्षक संघ, 69/1, दक्षिण तात्याटोपे नगर, भोपाल, म.प्र.।
18– महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, 48/1, दक्षिण तात्याटोपे नगर, भोपाल, म.प्र.।
19– महामंत्री, म.प्र. शासकीय अधिकारी कर्मचारी जनकल्याण संघ, 111 त्रिमूर्ति भवन वार्ड न. 08 इग्लिशपुरा, सीहोर, म.प्र.।
20– आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव